

न्यायालय:- प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला

भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष- सतीश कुमार गुप्ता)

विविध व्य. अपील क्र.-15/15

संस्थापन दिनांक-16.11.2015

1. सोनू आयु 32 वर्ष (वालिग)
2. मोनू आयु 16 वर्ष (नावालिग)
3. जितेंद्र आयु 13 वर्ष (नावालिग)
4. ऋषिकेश आयु 8 वर्ष (नावालिग)
5. सुभाष आयु 4 वर्ष (नावालिग)

उक्त सभी पुत्रगण मनीराम नावालिगान अपीलार्थीगण क्रमांक 2 लगायत 5 के सरपरस्त सोनू पुत्र मनीराम (अपीलार्थी क्रमांक 1)

6. कुमारी राधा आयु 14 वर्ष

7. कुमारी रानी आयु 10 वर्ष

उक्त दोनों पुत्रियां मनीराम, नावालिग अपीलार्थीगण क्रमांक 6 व 7 के सरपरस्त सोनू पुत्र मनीराम (अपीलार्थी क्रमांक 1)

8. श्रीमती सीमा आयु 24 वर्ष पुत्री मनीराम पत्नी रामौतार

उक्त समस्त जाति बघेले निवासी ग्राम घुसगवा तहसील व जिला मुरैना, (म0प्र0)

—अपीलार्थी / प्रतिवादीगण

// बनाम //

रामनाथ पुत्र ग्यासीराम बघेले निवासी ग्राम विसवारी परगना गोहद जिला भिण्ड, (म0प्र0)

—प्रत्यर्थी / वादी

सभी अपीलार्थीगण की ओर से श्री यजवेंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से श्री एस0एस0 श्रीवास्तव अधिवक्ता।

आदेश

(आज दिनांक 16.01.2018 को पारित)

01. अपीलार्थीगण की ओर से उक्त विविध व्यवहार अपील आदेश 43 नियम 1 सी0पी0सी0 के अंतर्गत अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) द्वारा व्यवहार वाद प्रकरण क्र0 147ए/15 में पारित आदेश दिनांक 26.09.15 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 स्वीकार किया गया है।
02. प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य यह स्वीकृत/निर्विवादित है कि वादग्रस्त भूमि, जीवन-पर्यन्त मृतक आशाराम के स्वामित्व एवं आधिपत्य की रही है एवं मृतक आशाराम के कोई पुत्र नहीं था व केवल एक पुत्री स्वर्गीय ओमवती थी, जो कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की मां है।
03. विचारण न्यायालय के समक्ष वादी/प्रत्यर्थी की ओर से स्वत्व व आधिपत्य की घोषणा सहित स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता हेतु वाद इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम विसवारी तहसील गोहद में वादग्रस्त कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 356 मिन रकवा 0.14, सर्वे क्रमांक 512 मिन रकवा 0.05, सर्वे क्रमांक 513 मिन रकवा 0.26, सर्वे क्रमांक 514 मिन रकवा 0.11 एवं सर्वे क्रमांक 540 मिन रकवा 0.24 स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में आशाराम के स्वामित्व व आधिपत्य की थी। आशाराम के कोई पुत्र नहीं था व एक पुत्री ओमवती थी जिसकी शादी आशाराम ने अपने जीवनकाल में काफी धन देकर कर दी थी। ओमवती अपनी ससुराल ग्राम घुसगवां जिला मुरैना में अपने परिवार के साथ रहती थी। पुत्री ओमवती की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है एवं प्रतिवादीगण ओमवती के पुत्र-पुत्रियां हैं। मृतक आशाराम वादी का चचेरा भाई था और आशाराम के कोई पुत्र संतान न होने के कारण आशाराम वादी के साथ सम्मिलित रूप में रहते थे एवं वादी ही उनकी देखभाल करता था तथा इलाज बगैरह कराता था। आशाराम वादी से विशेष स्नेह रखते थे। वादी मृतक आशाराम की वादग्रस्त भूमि सहित अन्य भूमि पर आशाराम के जीवनकाल से ही

काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई खेती नहीं की गई है और न ही वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कभी कोई कब्जा रहा है। वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 8 मृतक आशाराम के वैध वारिस नहीं हैं एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 8 को मृतक आशाराम की वादग्रस्त भूमि में कोई हक प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त भूमि आशाराम की पैत्रक सम्पत्ति थी, जो वादी को निकटतम एकमात्र वारिस होने की हैसियत से प्राप्त हुई है, इसलिये वादी को वादग्रस्त भूमि में भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का नामांतरण भी हो गया है तथा वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में भी वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। मृतक आशाराम ने ओमवती के हक में कभी कोई वसीयत सम्पादित नहीं की थी। वसीयतनामा दिनांक 26.05.99 फर्जी है। वादी ने प्रतिवादीगण की जानकारी में वादग्रस्त भूमि पर अपना नामांतरण कराया था। अतः उक्त नामांतरण प्रतिवादीगण पर बंधनकारी है। प्रतिवादीगण, वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो उसे अपूर्णाय क्षति होगी। साथ में उक्त आधारों पर ही वादी/प्रत्यर्थी द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी तीनों आधार प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णाय क्षति आवेदक/वादी के पक्ष में होना बताते हुये मूल सिविल प्रकरण के अंतिम निराकरण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी कि प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से विरत रहें तथा समर्थन में शपथपत्र कर्ता रामनाथ ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

04. सभी प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत करते हुये उक्त वाद को सब्यय निरस्त किये जाने का निवेदन इन आधारों पर किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का स्वत्व व आधिपत्य है। वादी ने फर्जी तौर पर वादग्रस्त भूमि पर अपना इंद्राज करा लिया है। आशाराम निसंतान नहीं थे। आशाराम की पुत्री ओमवती थी, जो कि आशाराम की वैध

वारिस थी। मृतक आशाराम ने दिनांक 26.05.99 को अपनी पुत्री ओमवती के हित में वादग्रस्त भूमि की पंजीकृत वसीयत की थी। आशाराम जब तक जीवित रहे थे तब तक वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खेती करते रहे थे एवं उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्री होकर वैध वारिस ओमवती जीवन पर्यन्त वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खेती करती रही हैं तथा स्वर्गीय ओमवती की मृत्यु के पश्चात् से प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहे हैं। वादी मृतक आशाराम का वारिस नहीं है। प्रतिवादीगण मृतक आशाराम की पुत्री स्वर्गीय ओमवती के पुत्र-पुत्री होकर स्वर्गीय आशाराम के वैध वारिस हैं एवं वादी का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 का लिखित जवाब पेश कर उपरोक्त आधारों पर अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी तीनों आधार स्तम्भ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति आवेदक/वादी के पक्ष में नहीं होना बताते हुये उसे सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है तथा समर्थन में शपथकर्ता सोनू का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

05. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादी/प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 निराकृत करते हुए उसे स्वीकार कर प्रकरण में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है कि प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण प्रकरण के निराकरण तक वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से विरत रहें, जिससे व्यथित होकर यह विविध व्यवहार अपील प्रस्तुत की गई है।

06. अपीलार्थीगण की ओर से आलोच्य आदेश को विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने एवं अपीलार्थीगण मृतक आशाराम की पुत्री स्वर्गीय ओमवती के पुत्र-पुत्रियां होकर वैध वारिस होने से वादग्रस्त भूमि पर उनका निरंतर आधिपत्य रहे होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने आधिपत्य नहीं मानते हुये राजस्व कागजात में फर्जी इंद्राज के आधार पर वादी के पक्ष में आदेश पारित करने में त्रुटि कारित करने से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को

अपास्त कर वादी/प्रत्यर्थी का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 को अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

07. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि अनुरूप होना दर्शाते हुए अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

08. अपील याचिका पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री यजवंद्र श्रीवास्तव एवं प्रत्यर्थी क01 लगायत 8 के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0एस0 श्रीवास्तव के तर्क सुने गये। अधीनस्थ न्यायालय के व्यवहार वाद क्रमांक 147ए/15 (रामनाथ बनाम सोनू आदि) के संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया गया।

09. **अपील के निराकरण के लिए मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्न हैं—**

01. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 147-ए/15 (रामनाथ बनाम सोनू आदि) में पारित आदेश दिनांक 26.09.15 को पारित करने में विधि और तथ्य संबंधी भूल की गई है ?
02. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक 147ए/15 (रामनाथ बनाम सोनू आदि) में पारित आदेश दिनांकित 26.09.15 अपास्त किये जाने योग्य है ?

// सकारण निष्कर्ष //

10. उक्त विविध अपील के संबंध में सर्वप्रथम प्रत्यर्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये इन तर्कों पर विचार किया जा रहा है कि उक्त अपील अंदर म्याद नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.09.15 को पारित किया गया है और यह विविध अपील दिनांक 02.11.15 को अर्थात् 37 दिवस पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जबकि आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने में अपीलार्थीगण को मात्र 4-5 दिवस का ही समय लगा है, लेकिन प्रकरण के साथ संलग्न प्रश्नगत आदेश की सत्य प्रतिलिपि के

अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन अपीलार्थी पक्ष द्वारा दिनांक 05.10.15 को प्रस्तुत करने के पश्चात् उक्त आदेश की प्रतिलिपि अपीलार्थी पक्ष को दिनांक 13.10.15 को प्राप्त हुई है। अतः प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगी समयावधि को अपवर्जित किये जाने के परिणामस्वरूप प्रश्नगत अपील विहित समयावधि में प्रस्तुत होना पायी जाने के कारण प्रत्यर्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क तात्विक नहीं पाये जाने से अमान्य किये जाते हैं।

11. अपीलार्थीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने अपने इन तर्कों पर अधिक जोर दिया है कि अपीलार्थीगण मृतक आशाराम की पुत्री स्वर्गीय ओमवती के पुत्र-पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी के वैध वारिस होने से वादग्रस्त भूमि पर उनका निरंतर स्वत्व व आधिपत्य रहे होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने स्वत्व व आधिपत्य नहीं मानते हुये राजस्व कागजात में फर्जी इंद्राज के आधार पर वादी के पक्ष में आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है, जबकि प्रत्यर्थी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्नगत आदेश को विधि अनुरूप होना बताया है।

12. अतः उभयपक्ष के तर्कों पर विचार करते हुये इस विविध अपील सहित विचारण न्यायालय के सिविल प्रकरण क्रमांक 147-ए/15 रामनाथ बनाम सोनू आदि के संपूर्ण अभिलेख का परिशीलन किया गया, जिससे पाया जाता है कि आवेदक/वादी/प्रत्यर्थी ने मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी तीनों ही आधार स्तम्भ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उसके पक्ष में होना बताते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन इन आधारों पर किया है कि वादग्रस्त भूमि उसके चचेरे भाई मृतक आशाराम के स्वामित्व की रही है एवं आशाराम की कोई पुत्र संतान नहीं थी व उसकी केवल एक मात्र पुत्री प्रतिवादीगण की मां स्वर्गीय ओमवती थी और उसका विवाह पर्याप्त दान-दहेज देकर के आशाराम द्वारा कर दिये जाने से वह अपने ससुराल में निवास कर रही थी और इस कारण से आशाराम वादी के साथ ही निवास करता था और उसके जीवनकाल से ही वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा था और वह आशाराम के हर प्रकार की

देख-रेख कर रहा था इस कारण आशाराम उससे विशेष स्नेह रखते थे।

13. इस प्रकार मृतक आशाराम का एक मात्र निकटतम वारिस होने के कारण वादग्रस्त भूमि को अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की होना बताते हुये वादी ने वादग्रस्त भूमि पर अपना नाम प्रतिवादीगण की जानकारी में इन्द्राज हो जाना बताया है, लेकिन वादीपक्ष की ओर से अभिलेख पर ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिसके अवलोकन से प्रश्नगत नामांतरण प्रतिवादीगण की जानकारी में होना व उन्हें मामले में पक्षकार बनाते हुये नामांतरण किया जाना दर्शित होता हो, बल्कि प्रतिवादीगण ने उनकी जानकारी के बिना वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अधिकारियों से सांठ-गांठ कर फर्जी रूप से नामांतरण करा लिया जाना बताया है। साथ ही स्वयं वादी रामनाथ ने भी अपने अभिवचनों में यह कदापि स्पष्ट नहीं किया है कि मृतक आशाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस पुत्री ओमवती व स्वर्गीय ओमवती के प्रथम श्रेणी के वारिस पुत्र-पुत्रियों अर्थात् प्रतिवादीगण के होते हुये उसके/उनके स्थान पर वादग्रस्त भूमि पर उसने अपना नाम किस आधार पर दर्ज करा लिया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर प्रश्नगत नामांतरण के संबंध में प्रबल संदेहजनक परिस्थितियाँ प्रथम दृष्टया दर्शित होती हैं।

14. आवेदक/वादी ने मामले में वादग्रस्त भूमि पर स्वर्गीय आशाराम के जीवनकाल से काबिज होकर कृषि कार्य करना बताया है, लेकिन आवेदक/वादी की ओर से अभिलेख पर ऐसे कोई भी राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं, जिनके अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पर स्वर्गीय आशाराम के जीवनकाल से अर्थात् दीर्घकाल से वादी द्वारा काबिज होकर कृषि कार्य करना दर्शित होता हो और वादी की ओर से अपने स्वत्व व आधिपत्य की पुष्टि में राजस्व दस्तावेज खसरा व खतौनी की जो भी प्रतिलिपियाँ पेश की गई हैं, वे वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान भर की हैं और वे प्रश्नगत नामांतरण के पश्चात की ही हैं और उपर के पैराओं में किये गये विवेचन के प्रकाश में प्रश्नगत नामांतरण प्रबल संदेहजनक परिस्थितियों से प्रथम दृष्टया घिरा हुआ पाये जाने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों खसरा व खतौनी में अंकित प्रविष्टियों के विपरीत अनुमान इंगित होने के कारण उनका प्रथम दृष्टया

कोई लाभ आवेदक/वादी को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

15. मामले में यह अविवादित है कि वादग्रस्त भूमि जीवन-पर्यन्त स्वर्गीय आशाराम के स्वामित्व एवं आधिपत्य की रही है और ओमवती, स्वर्गीय आशाराम की एकमात्र पुत्री है तथा प्रतिवादीगण ओमवती के पुत्र-पुत्रियां हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक/वादी के यह अभिवचन प्रथम दृष्टया विश्वास योग्य प्रकट नहीं होते हैं कि वह स्वर्गीय आशाराम का एक मात्र वारिस है, बल्कि उक्त संबंध में उसके द्वारा असत्य प्रकटन किया जाना प्रथमदृष्टया प्रकट है। साथ ही ओमवती स्वर्गीय आशाराम की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस होने से स्वर्गीय आशाराम की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर स्वाभाविक रूप से उसका ही कब्जा माना जायेगा एवं प्रतिवादीगण ओमवती के पुत्र-पुत्रियां होकर प्रथम श्रेणी के वारिस होने से स्वर्गीय ओमवती की मृत्यु के पश्चात् से वादग्रस्त भूमि पर स्वाभाविक रूप से प्रतिवादीगण का ही कब्जा माना जायेगा।

16. प्रतिवादी पक्ष की ओर से अभिलेख पर रजिस्टर्ड लिखत वसीयतनामा दिनांकित 26.05.99 की छायाप्रति को पेश किया गया है, जिस पर वसीयतकर्ता आशाराम की फोटो भी चस्पा है और मामले में आवेदक/वादी पक्ष का ऐसा कहना नहीं है कि उक्त वसीयतनामा पर चस्पा फोटो आशाराम की नहीं है। यद्यपि उक्त वसीयतनामा के संबंध में अंतिम निष्कर्ष उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत गुण-दोषों के आधार पर लिया जाना संभव है, लेकिन उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया स्वर्गीय आशाराम द्वारा अपनी एक मात्र प्रथम श्रेणी की वारिस पुत्री ओमवती से स्नेह होकर उसके नाम वसीयतनामा किया जाना दर्शित है। अतः आवेदक/वादी का यह कहना कि स्वर्गीय आशाराम उससे विशेष स्नेह रखते थे और वह स्वर्गीय आशाराम की जीवन-पर्यन्त अच्छे से देखभाल करता रहा है और आशाराम के जीवनकाल से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है, प्रथम दृष्टया विश्वास योग्य नहीं रह जाता है।

17. अतः उपर के पैराओं में किये गये विवेचन के प्रकाश में प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/वादी के पक्ष में होना एवं वादग्रस्त भूमि आवेदक/वादी के भूमि स्वामी स्वत्व व आधिपत्य की होना प्रथम दृष्टया

स्थापित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी आवेदक/वादी के पक्ष में भी होना नहीं माना जा सकता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के अभाव में आवेदक/वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होना भी नहीं माना जा सकता है।

18. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का जो निष्कर्ष निकाला है, वह त्रुटिपूर्ण है और स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

19. परिणामतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्र० 147-ए/15 में पारित आदेश दिनांक 26.09.15 अपास्त किया जाता है।

20. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अपील में निकाले गये निष्कर्ष एवं आदेश का प्रभाव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर पारित किये जाने वाले किसी निर्णय पर नहीं पड़ेगा।

21. इस विविध अपील में अपीलार्थीगण द्वारा उपगत व्यय, प्रत्यर्थी द्वारा वहन किया जावेगा।

22. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर प्रमाण पत्र अनुसार अथवा तालिका अनुसार, जो भी कम हो, 200/- रुपये की सीमा तक व्यय तालिका में अंकित किया जाये।

उक्तानुसार व्यय तालिका निर्मित की जाये।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(एस०के०गुप्ता)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड

(एस०के०गुप्ता)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,
गोहद, जिला भिण्ड